[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.13/2025-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 582(अ), दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 153/94-सीमाशुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त सूचना की सारणी में, क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (3) में, खंड (ii) के परंतुक में, "अध्याय 88 या 89", शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्याय 86 या अध्याय 88 या अध्याय 89" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.334/03/2025-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं.153/94-सीमाशुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 582(अ), दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 38/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।